अवर न्यायाधीश

सोनपुर, सारण।

हकियत वाद सं0–58 सन् 2019

बिनोद कुमार श्रीवास्तव व अन्य.....वादीगण

बनाम

राहुल राय व अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांक–21.01.2021

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–12.08.2020 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी की ओर से दिनांक–12.08.2020 को स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त को नियुक्त करने हेतु आवेदन दाखिल कर कथन है कि वादपत्र के मद नं0 1 में वर्णित दाखिल तकरारी भूमि खाता सं0 575 खेसरा सं0 378 रकबा 6 कठा 9 धूर वादीगण की निबंधित बैनामा द्वारा खरीदगी भूमि है। जिसे दाखिल खारिज कराकर बिहार सरकार को मालगुजारी अदा कर रशीद हासिल करते आ रहे हैं। प्रतिवादीगण तकरारी भूमि का स्वरूप बदलने पर अमादा है और उसमें नया निमाण कर बेदखल करने पर उतारू हैं और काब्जा दखल में हस्तक्षेप अथवा बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। वादीगण ने दिनांक–12.08.2020 को इंतनाई आवेदन दाखिल किया है। ऐसी परिस्थिति में तकरारी भूमि का वर्तमान वस्तु स्थिति आवदन में लिखित बिन्दुओं पर मंगाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि तकरारी भूमि का निरीक्षण प्रतिवदेन किसी वरीये अधिवक्ता आयुक्त को नियुक्त कर मांग लिया जाए।

प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 19.10.2020 को उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल कर कथन है कि वादीगण के द्वारा आवेदन में जिन तथ्यों को दर्शाया गया है वह अधूरा है। वादपत्र में वर्णित भूमि खरीदगी के समय से प्रतिवादीगण के दखल कब्जे में है। वादीगण के द्वारा दाखिल वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण ने जो वाद लाया है उसके कंडिका 8 में स्वीकार किया है कि प्रतिवादीगण फरीक 3 पंक्षीलाल राय एवं उनके लड़का उदय कुमार प्रतिवादी फरीक 3 दिनांक 10.07.2018 को नांद, खूंटा एवं बथान रख दिया है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जाना समय की बर्बादी और साक्ष्य इकट्ठा करने की साजिश वादीगण का प्रतीत होता है। वादीगण के द्वारा इंतनाई आवेदन में नया निर्माण करन व बेदखल करने की बात बेबुनियाद है, क्योंकि विवादित भूमि प्रतिवादीगण द्वारा खरीदगी के समय से ही दखल कब्जे में है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादीगण का प्रतिउत्तर स्वीकार करते हुए वादीगण का आवेदन दिनांक 12.08.2020 को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्षां के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण के द्वारा यह हकियत वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध दाखिल कर 4 किता जाहिरा वोसिका बैनामा दिनांक–21.02.2018 नविस्ते प्रतिवादी फरीक 5 बनाम प्रतिवादी फरीक 1 ता 4 को शुन्य दस्तावेज घोषित करने हेतु दाखिल किया है। साथ ही वादीगण के द्वारा वादपत्र सिडियुल नं0 2 पर प्रतिवादी फरीक 3 का दखल कब्जा व समान हटवाकर वादीगण का दखल कब्जा दिलवाने हेतु अनुतोष की प्राप्ति के लिए दाखिल किया है। वादीगण के द्वारा अनुतोष 4 के रूप मं अस्थाई इंतनाई जारी कर प्रतिवादी फरीक 1 ता 4 को तकरारी एराजी पर किसी तरह का कोई निर्माण करने से रोकने हेतु अनुतोष की भी मांग की गई है। वादीगण ने अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति हेतु आवेदन में कंडिका 4 में यह स्वीकार किया है कि प्रतिवादीगण के द्वारा तकरारी भूमि के स्वरूप को बदलने हेतु निर्माण कार्य करने का प्रयास

किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में विवादित स्थल पर कोई निर्माण कार्य जारी है इसको अभिलेख पर लाया जाना आवश्यक है। अतः वादी के द्वारा दाखिल आवेदन पोषणीय है। अतः वादीगण की ओर स दाखिल अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–12.08.2020 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे अधिवक्ता आयुक्त शुल्क 1500/–रूपया नजारत में जमा करें।

दिनांक 04.02.2021 को अधिवक्ता आयुक्त शुल्क जमा करने हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।